हज्ज और उम्रा का तरीक़ा

(तथा अधिकांश हाजियों से होने वाली गलतियों पर चेतावनी)

लेख

यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन अहमद अल-अहमद

अनुवाद

अतार्उरहमान ज़ियाउल्लाह

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा,

रियाज़, सऊदी अरब

islamhouse.com

1429-2008

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد للّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

यह किताब '**हज्ज व उम्रा का तरीक़ा और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने के अह्काम**' के उल्लेख पर आधारित है, जिसके अन्दर मैं ने प्रयास किया है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शुद्ध (सहीह) सुन्नत के अनुरूप हो। साथ ही साथ कुछ त्रुटियों और मुख़ालफतों की ओर भी संकेत किया है जिन्हें कुछ हाजी लोग कर बैठते हैं।

किताब के अन्त में एक महत्वपूर्ण वृद्धि भी जोड़ दी गई है जिस में उन बातों का उल्लेख किया गया है

जिनकी जानकारी प्राप्त करना बन्दे पर अनिवार्य है। अतः मेरे प्रतिष्ठित भाई आप पूरी किताब पढ़ने की चेष्टा करें और इस में उल्लिखित बातों से लाभ उठाएँ।

प्राक्कथन

➤ **प्रथम** : हज्ज इस्लाम के पाँच स्तम्भों में से एक स्तम्भ है। यह जीवन में केवल एक बार अनिवार्य (फर्ज़) है। इसके अनिवार्य होने का प्रमाण अल्लाह तआला का यह कथन है :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧﴾

[سورة آل عمران:٩٧]

"अल्लाह तआला ने उन लोगों पर जो उस तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं इस घर का हज्ज करना अनिवार्य कर दिया है, और जो कोई कुफ्र करे (न माने) तो अल्लाह तआला (उस से बल्कि) सर्व संसार से बेनियाज़ है।" (सूरत आल-इम्रान:९७)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है :

“इस्लाम की नीव पाँच चीज़ों पर स्थापित है : इस बात की शहादत -गवाही- देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मद अल्ला के पैगम्बर हैं, नमाज़ स्थापित करना, ज़कात देना, खाना कअ्बा का हज्ज करना और रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना।”(बुखारी व मुस्लिम)

✷ हज्ज के अनिवार्य होने की पाँच शर्तें हैं :

१. **इस्लाम** (मुसलमान होना)।

२. **बुद्धि**।

३. **व्यस्कता** (बालिग होना)।

४. **आज़ादी**।

५. **सामर्थ्य** (शारीरिक और आर्थिक रूप से समर्थ होना)।

६. **महिला के लिए एक अतिरिक्त शर्त भी है;** और वह यह कि उसके साथ मह्रम[1] मौजूद हो जो उसके साथ यात्रा करे, क्योंकि उसके लिए

---

[1] जैसे : पति, या बाप, या बेटा, या भीई, या चचा, या मामूँ, या भतीजा, या भाँजा ... इत्यादि।

बिना महरम के हज्ज के लिए या कोई अन्य यात्रा करना हराम है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

“कोई महिला बिना मह्रम के यात्रा न करे।” (बुखारी व मुस्लिम)

यदि यह बिना महरम के हज्ज कर लेती है, तो वह गुनहगार (दोषी) होगी और उसका हज्ज सहीह है।

✷ **पाँचवी शर्त सामर्थ्य** : शारीरिक और आर्थिक दोनों सामर्थ्य को सम्मिलित है; चुनाँचे जो आदमी अपने माल के द्वारा यात्रा का खर्च या हज्ज का खर्च आदि पूरा करने से असमर्थ है, तो उसके ऊपर हज्ज अनिवार्य (फर्ज़) नहीं है। परन्तु जो आदमी अपने माल के द्वारा हज्ज की ताक़त रखता है और शारीरिक रूप से इस प्रकार असमर्थ है कि उस से स्वस्थ होने की आशा नहीं है; जैसेकि वह आदमी जो किसी दीर्घस्थायी रोग से पीड़ित है, तथा विकलांग और बूढ़ा (वयोवृद्ध) आदमी, तो ऐसा आदमी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से हज्ज करने के लिए

प्रतिनिधि बनाए गा। और प्रतिनिधि के लिए शर्त यह है कि वह अपनी ओर से हज्ज कर चुका हो।

➤ **द्वितीय** : अल्लाह तआला का फर्मान है :

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (سورة البقرة:١٩٧)

"हज्ज के कुछ जाने पहचाने महीने हैं, अतः जिस ने इन महीनों में हज्ज को फर्ज़ कर लिया, तो हज्ज में कामुकता की बातें, फिस्क़ व फुजूर (अवहेलना) और लड़ाई-झगड़ा नहीं है।" (सूरतुल बक़्रह :१९७)

(**रफस** : कहते हैं संभोग और उस के कारणों को, **फुसूक़** : अवज्ञा व अवहेलना को कहते हैं, तथा **जिदाल** : से अभिप्राय अनुचित लड़ाई-झगड़ा और वह बहस है जिसमें कोई लाभ नहीं है, या जिसका हानि उसके लाभ से अधिकतर है।)

✸ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"जिस आदमी ने हज्ज किया और उसमें संभोग और उस से संबंधित कामुक चीज़ों और अवज्ञा से बचा रहा, तो वह उस दिन के

समान वापस लौटा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था।"(बुखारी व मुस्लिम)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"एक उम्रा से दूसरा उम्रा उनके बीच के गुनाहों के लिए कफ्फारा है, और मब्रूर-हज्ज का बदला केवल जन्नत ही है।" (बुखारी व मुस्लिम)

✸ अतः मेरे हाजी भाई! आप नाफरमानी और गुनाह में पड़ने स बचें, चाहे वह छोटा गुनाह हो या बड़ा; जैसे नमाज़ को उसके समय से विलम्ब करना, ग़ीबत (पिशुनता), चुगुलखोरी, गाली-गलोज, गाना सुनना, दाढ़ी मुँडाना, टखने से नीचे कपड़े लटकाना, घूम्रपान करना (बीड़ी-सिगरेट पीना), रास्ते और टेलीवीज़न में हराम चीज़ों को देखना। औरत पर अनिवार्य है कि शरई हिजाब (पर्दा) के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर को ढाँक कर रखे और बेपर्दगी से दूर रहे।

✸ लोगों की अधिकता, सख्त भीड़-भाड़, और थकावट के कारण आदमी ट्रेफिक कर्मी, या बस-चालक के साथ, या तवाफ और जमरात की भीड़-भाड़ में हज्ज के दौरान मम्नूअ् (निषिद्ध) लड़ाई-झगड़े में पड़ जाता

है, अतः आप शैतान के बहकावे और उसके फन्दे में फँसने से बचाव करें, सहनशीलता और धीरज से काम लें और जाहिलों से उपेक्षा करें, आप की ज़ुबान से केवल अच्छी बात ही निकले।

➤ **तीसरा** : कुछ औरतें हज्ज में बुरक़ा (हिजाब) नहीं पहनती हैं और अपने कपड़ों ही में लोगों के बीच से गुज़रती हैं, और कभी-कभार पैन्ट पहन कर निकलती हैं, और यह समझती हैं कि हिजाब केवल सिर पर दुपट्टा रख लेने का नाम है। यह एक फासिद समझ है। तथा मामला इस से और संगीन हो जाता है कि कुछ महिलाएं ईद के दिन बनाव-सिंगार करती हैं, फिर सुनहरे कपड़े पहन कर और मेकप (श्रृंगार) कर के मर्दों के पास से गुज़रती हैं, और यह समझती हैं कि यह सब ईद की खुशी मनाने में दाखिल है, हालाँकि उसे नहीं मालूम कि यह हज्ज के अन्दर महा पाप में से है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

"मैं ने अपने बाद मर्दों के लिए महिलाओं से बढ़कर हानिकारक (खतरनाक) कोई फित्ना नहीं छोड़ा।" (बुखारी व मुस्लिम)

✷ तथा कुछ महिलाएँ सार्वजनिक स्थानों पर सोने में लापरवाही करती हैं, जिसके कारणवश मर्द उन्हें देखते हैं।

✷ मुसलमान महिला पर अनिवार्य है कि वह अल्लाह से डरे और बिना ज़ीनत (श्रृंगार) वाला विस्तृत हिजाब पहन कर पराये मर्दों से इस प्रकार पर्दा करे कि उस की शरीर का कोई अंग दिखाई न दे; न तो उसका चेहरा, न उसके दोनों हाथ और न ही उसके दोनों पाँव; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है : **"औरत सरापा सत्र (छुपाने और पर्दा करने की चीज़) है, जब वह बाहर निकलती है तो शैतान उसे निगाह उठाकर देखता है।"** (इसे तिर्मिज़ी ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है)

(इस्तिश्राफ : असल में कहते हैं माथे (भौं) पर हथेली रख कर और सिर उठा कर देखना। इसका अभिप्राय यह है कि जब औरत अपने घर से बाहर निकलती है तो शैतान के अन्दर उसे बहकाने और गुमराह करनी की लालसा पैदा होती है।)

चौथा : एहराम की अवस्था में निषिध काम :

जब मुसलमान आदमी हज्ज या उम्रा का एहराम बाँध ले (अर्थात हज्ज या उम्रा की इबादत में दाखिल होने की नीयत कर ले) तो उस पर ग्यारह -११- चीज़ें हराम हो जाती हैं यहाँ तक कि वह अपने एहराम से हलाल हो जाए, और यह निम्नलिखित हैं :

१. बाल काटना (या उखाड़ना)।

२. नाखून बनाना (तराशना)

३. सुगन्ध (खुश्बू) इस्तेमाल करना।

४. खुश्की का शिकार मारना, परन्तु समुन्दरी शिकार वैध है।

५. (विशेष रूप से पुरूष के लिए) सिले हुए कपड़े पहनना। सिले हुए कपड़े से अभिप्राय वह कपड़ा है जो शरीर के नाप के अनुसार तैयार किया गया हो, जैसेः जुब्बा, बनियान, पैजामा, कमीज, पैन्ट, दस्ताना, मोज़ा इत्यादि। परन्तु वह कपड़ा जिस में धागा हो लेकिन वह शरीर के नाप के अनुसार तैयार न किया गया हो तो इस के

पहनने में कोई बात नहीं है; जैसे : पट्टा, या घड़ी, या जूता जिसमें धागा लगा हो।

६. (विशेष रूप से पुरूष के लिए) सिर या चेहरे को किसी चिपकने वाली (उनसे मिली हुई) चीज़ से ढाँकना, जैसे : टोपी, गुत्रा (रूमाल) अमामा (पगड़ी) हैट और इनके समान अन्य चीज़ें, परन्तु छत्री, तम्बू, बस-कार का साया प्राप्त करना जाईज़ है, इसी प्रकार सिर पर सामान उठाना जाईज़ है जब उसका उद्देश्य सिर को ढाँकना न हो।

७. (विशेष रूप से स्त्री के लिए) निक़ाब (अर्थात् वह कपड़ा जो विशिष्ट रूप से चेहरे पर बाँधने के लिए तैयार किया जाता है और उसमें आँखों के लिए सुराख बना रहता है।) और दस्ताने पहनना। यदि औरत पराये मर्दों के सामने है तो चेहरे और दोनों हाथों को निक़ाब और दस्ताने के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ से छुपा लेगी, जैसे कि दुपट्टा चेहरे पर डाल ले, और दोनों हाथों को हिजाब (अबाया) के अन्दर दाखिल कर ले।

८. निकाह करना-करवाना

९. संभोग करना।

१०. शहवत के साथ आलिंगन करना (बीवी से बोस व किनार करना)

११. हस्तमैथुन के द्वारा या वैसे ही वीर्य-पात करना।

एहराम की अवस्था में निषिध कामों को करने वाले की तीन हालतें हैं :

१. वह निषिध काम को बिना किसी उज़्र के (अकारण) कर बैठे; तो ऐसी हालत में वह गुनहगार है और उसके ऊपर फिद्या वाजिब है।

२. वह निषिध काम को किसी ज़रूरत के कारण करे, उदाहरण के तौर पर किसी बीमारी के कारण सिर के बाल मुँडाना। तो ऐसी हालत में निषिध काम को करना जाईज़ है, किन्तु उसके ऊपर फिद्या वाजिब है।

३. वह निषिध काम को इस हाल में करे कि वह नींद या भूल-चूक, या अज्ञानता, या जब्र के कारण मअ्ज़ूर हो। ऐसी हालत में उस पर कोई गुनाह नहीं और न ही उस पर फिद्या वाजिब है।

✷ निषिध काम यदि बाल काटना, या नाखून बनाना, या सुगन्ध इस्तेमाल करना, या शह्वत के साथ बोस व किनार (आलिंगन) करना, या मर्द का सिले हुए कपड़े पहनना या अपना सिर धाँकना, या स्त्री का निकाब या दस्ताने पहनना हो; तो इन सब में अधिकांश उलमा के निकट फिद्या वाजिब है, और यह फिद्या तीन चाज़ें हैं, एहराम की हालत में निषिध काम को करने वाला इन में से किसी एक को चयन कर ले गा, और वो निम्नलिखित हैं :

१. एक बकरी ज़ब्ह करना (और उसे फक़ीरों में बाँट देना, उस में से कुछ भी न खाना।)

२. छः मिस्कीनों को खाना खिलाना, हर मिस्कीन के लिए लगभग आधा सॉअ् गल्ला होना चाहिए (आधा सॉअ लगभग सवा एक किलो (१.२५ कि०ग्रा०) होता है।)

३. तीन दिन रोज़ा रखना।

✷ **उपर्युक्त हुक्म से निम्नलिखित निषिध काम अलग हैं :**

१. **निकाह करना** (करवाना) ; यह एहराम की हालत में हराम है, और इस पर कोई फिद्या नहीं है।

२. **शिकार मारना**; यह हराम है, और यदि जान-बूझ कर शिकार किया है तो इस में बदला वाजिब है। (संछेप के उद्देश्य से तथा आजकल यह बहुत ही कम होता है, शिकार का बदला उल्लिखित नहीं किया गया है।)

३. **संभोग करना**: (यह सब से बड़ा निषिध काम है) यदि जान-बूझ कर पहले तहल्लुल से पूर्व संभोग करता है तो उस पर पाँच चीज़ें निष्कर्षित होती हैं :

१. गुनाह।

२. हज्ज का फासिद होना।

३. उस हज्ज को पूरा करना अनिवार्य है।

४. अगले वर्ष उस हज्ज की कज़ा करना ज़रूरी है।

५. फिद्या का वाजिब होना; और वह एक ऊँट या गाय है जिसे क़ज़ा में ज़ब्ह किया जाए गा।

➤ **पाँचवां** : **हज्ज के मनासिक के तीन भेद हैं** : तमत्तुअ्, क़िरान और इफराद। उनमें सर्वश्रेष्ठ तमत्तुअ् है; क्योंकि आप सल्लल्लाहुअ अलैहि व सल्लम ने इसका आदेश दिया है।

✷ **तमत्तुअ्**: यह है कि हज्ज के महीने[1] में उम्रा की नीयत से एहराम बाँधे, और उम्रा से फारिग होने के बाद यौमुत्तर्वियह को (८ जुलहिज्जा के दिन) हज्ज की नीयत से एहराम बाँधे।

✷ **इफराद** : केवल हज्ज की नीयत से एहराम बाँधना; फिर मक्कह पहुँच कर तवाफे-क़ुदूम करना, तथा तवाफे-क़ुदूम के बाद हज्ज की सई करना भी जाईज़ है।

✷ **क़िरान** : हज्ज और उम्रा का एक साथ एहराम बाँधना।

---

1 **हज्ज के महीने** : शव्वाल, ज़ुल-क़अ्दह, और ज़ुलहिज्जा के १० दिन हैं।

हज्जे क़िरान करने वाले का काम हज्जे-इफ़राद करने वाले ही के समान है, केवल दो बातों में अन्तर है :

१. **नीयत** : इफ़राद करने वाला केवल हज्ज की नीयत करता है, जबकि क़िरान करने वाला हज्ज और उम्रा दोनों की नीयत करता है।

२. **हद्य** (क़ुरबानी का जानवर) : क़िरान करने वाले पर क़ुरबानी अनिवार्य है, और इफ़राद करने वाले पर क़ुरबानी नहीं है।

उम्रा की तरीक़ा

➤ **पहला : मीक़ात से एहराम बाँधना :** (मीक़ात पहुँच कर) आप गुस्ल करें और अपने शरीर जैसे सिर और दाढ़ी में खुश्बू लगाएं -एहराम के कपड़े में खुश्बू न लगाएं, अगर उसमें खुश्बू लग गया हो तो उसे धुल लें- और सिले हुए कपड़े उतार कर सफेद रंग की एक चादर और एक तहबंद और जूते पहन लें। (छत्री, चश्मा, अंगूठी, घड़ी और कमरबंद (पट्टा) मोहरिम के लिए जाईज़ है।)

✷ महिला चाहे मासिक-धर्म वाली ही क्यों न हो, वह नहा-धोकर जो भी कपड़े चाहे पहन सकती है, इतना शर्त है कि उस में हिजाब के सभी शुरूत मौजूद हों; चुनाँचे उसके शरीर का कोई अंग प्रकट न हो, न ही वह ज़ीनत (श्रृंगार) का प्रदर्शन करे, न खुश्बू लगाए और न ही मर्दों की छवि अपनाए।

✷ अगर आप के लिए मीक़ाता पर रूकना सम्भव नहीं है -जैसे कि हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रा करने वाला- तो आप अपने घर ही से स्नान कर लें, फिर जब

आप मीक़ात की बराबरी में पहुँचें तो उम्रा की इबादत में दाखिल होने की नीयत करें और ((لَبَّيْكَ عُمْرَةً - **लब्बैका उम्रह** (ऐ अल्लाह! मैं उम्रा के लिए उपस्थित हूँ))। यदि आप को यह भय हो कि किसी बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से इस इबादत (हज्ज या उम्रा) को पूरा नहीं कर सकें गे तो आप (नीयत करते समय) यह कहें :

إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِي

(इन हबा-सनी हाबिसुन-फ-महिल्ली हैसो हबस्-तनी)

"जहाँ मुझे कोई रूकावट पेश आ गई वहीं मैं हलाल हो जाऊँगा।"

फिर आप तल्बियह कहना शुरू कर दें और मक्कह पहुँचने तक कहते रहें। तल्बियह कहना पुरूष और महिला प्रत्येक के लिए सुन्नते मुअक्कदह है, किन्तु पुरूषों के लिए ऊँचे स्वर में तल्बियह कहना मस्नून है, जबकि औरतों के लिए ज़ोर आवाज़ से कहना मस्नून नहीं। तल्बियह के शब्द यह हैं :

((لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيْكَ لَكَ)).

(लब्बैका, अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नेमता लका वल मुल्क, ला शरीका लक)

अगर सम्भव है तो मक्कह में प्रवेश करने से पूर्व गुस्ल करना सुन्नत है।

➤ **दूसरा** : जब आप मस्जिदे हराम पहुँच जाएं तो यह दुआ पढ़ते हुए अपना दाहिना क़दम आगे बढ़ाएं:

"بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك"، "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم "

यह दुआ सभी मस्जिदों में दाखिल होते समय पढ़ी जानी चाहिए।

➤ **तीसरा** : फिर हज्रे-अस्वद से तवाफ का आरम्भ करें; उसके सामने हो कर "अल्लाहु अक्बर" कहें, अपने दाहिने हाथ से उसे छुएं और चुंबन करें। अगर चुंबन न कर सकें तो उसे अपने हाथ से या किसी अन्य चीज़ के द्वारा छुएं, और जिस चीज़ से छुए हैं उस का चुंबन करें। अगर छू न सकें तो इसके लिए लोगों से संघर्ष न करें, अपने हाथ से एक बार उसकी ओर इशारा करें और अपने हाथ को न चूमें। **(**क्योंकि आप ने अपने हाथ से हज्रे-अस्वद को नहीं छुवा है, इसलिए उसे चूमने का कोई तर्क नहीं**)** इसी प्रकार तवाफ के हर चक्कर के शुरू में करें।

✷ **फिर आप** काबा को अपने बायें ओर कर के **सात** चक्कर उस का तवाफ करें; पहले तीन चक्करों में **रमल** करें और शेष चक्करों में सामान्य रूप से चलें, और सातों चक्करों में **इज़्तिबाअ्** करें। **(रमल** कहते हैं: **छोटे-छोटे पगों के साथ तेज़ी से चलना** और **इज़्तिबाअ्** यह है कि दाहिने कन्धे को खुला रखते हुए चादर के मध्य भाग को अपने दाहिने मोंढे के नीचे (बगल में) कर लें और उसके दोनों किनारों को बायें कंधे के ऊपर डाल लें। रमल और इज़्तिबाअ् पुरूषों के लिए विशिष्ट हैं, तथा पहले तवाफ के साथ विशिष्ट हैं;

अर्थात् उम्रा के तवाफ तथा हज्जे क़िरान और इफ्राद करने वाले के लिए तवाफे कुदूम के साथ विशिष्ट है)।

✷ **जब आप यमनी** कोने के बराबर में पहुँचें तो हो सके तो उसे अपने हाथ से छुएं, किन्तु उसे बोसा नहीं दें गे, और अगर छूना कठिन हो तो उसकी ओर इशारा भी न करें। यमनी कोना और हज्रे अस्वद के बीच यह दुआ पढ़ना मुस्तहब है:

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

ऐ हमारे रब ! हमें इस संसार में भलाई प्रदान कर और परलोक में भी भलाई प्रदान कर और हमें नरक के अज़ाब से बचा। (सूरतुल बक़रः 201)

इसके अतिरिक्त तवाफ़ के दौरान कोई विशिष्ट दुआ या ज़िक्र साबित नहीं है। इसमें अधिक से अधिक दुआ और ज़िक्र करना मुस्तहब है। और अगर आप इसमें क़ुर्आन की तिलावत करें तो श्रेष्ठ है।

➤ **चौथा** : जब आप सातवाँ चक्कर (हज्रे-अस्वद की बराबरी में पहुँच कर) पूरा कर लें, तो अपना दाहिना कंधा ढाँक लें, और हो सके तो मक़ामे इब्राहीम

की ओर जाएं और यह आयत पढ़ें: ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ अगर सम्भव है तो मक़ामे इब्राहीम को अपने और खाना काबा के बीच करके उसके निकट (वर्ना मस्जिद में किसी भी स्थान पर) दो रकअत नमाज़ (तवाफ की सुन्नत) पढ़ें, जिस में पहली रकअत में सूरतुल-फातिहा के बाद सूरतुल -काफिरून और दूसरी रकअत में सूतुल-इख़्लास पढ़ें।

➤ **पाँचवां** : फिर ज़मज़म के पास जाएं, उस का पानी पियें, अल्लाह से दुआ करें और अपने सिर पर डालें। फिर अगर हो सके तो हज्रे अस्वद के पास वापस जायें और उसे अपने हाथ से छुएं जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया।

➤ **छठा** : फिर आप सफा की ओर जाएं, सफा के निकट पहुँच कर अल्लाह तआला का यह फर्मान पढ़ें :

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٥٨].

''अवश्य सफ़ा और मर्वा अल्लाह की निशानियों में से हैं इसलिए अल्लाह के घर का हज्ज तथा उम्रा करने वाले पर इनका तवाफ (परिक्रमा) कर लेने में भी कोई पाप नहीं और अपनी प्रसन्नता से पुण्य करने वालों का अल्लाह सम्मान करता है तथा उन्हें भली-भांति जानने वाला है।'' (सूरतुल बक़रः 158)

और कहें: **'नब्दओ बिमा बदा-अल्लाहो बिही' (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ)** जिस से अल्लाह ने शुरू किया है हम भी उसी से शुरू करते हैं।

और सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ जाएं, और खाना काबा की ओर मुँह करें (और अपने दोनों हाथों को उसी प्रकार उठाएं जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं और अपने हाथ से इशारा न करें) और तीन बार अल्लाहु अक्बर कहते हुए यह दुआ पढ़ें :

(اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ. لاَ إِلَـهَ إِلاَّ

اللّٰهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ).

उच्चारणः– (अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीका लहू, लहुल मुल्को व लहुल हम्द, व–हुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दहू , अन्जज़ा वअ्दहू , व नसा–रह् अब्दहू , व हज़ा–मल अह्ज़ाबा वह्दहू)

‘‘अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है। अल्लाह के अतिरिकत कोई भी उपासना के योग्य नहीं, वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं, उसी का राज्य है और उसी के लिए प्रशंसा है और वह हर चीज़ पर सर्वशकितमान है। अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं वह अकेला है, उसने अपना वचन पूरा किया और अपने बन्दे की सहायता की और अकेले सारे जत्थों को पराजित किया।’’

इस दुआ को तीन बार दुहराएं, और हर बार और दूसरी के बीच जो भी दुआ मांगना चाहें, मांगें।

➤ **सातवाँ** : फिर आप पहाड़ी से उतर कर सफा और मरवा के बीच सई करें, जब आप दोनों हरे निशान (ग्रीन लाइट) के बीच हों तो तेज़ी से दौड़ें **(तेज़ दौड़ना** पुरूषों के लिए विशिष्ट है, महिलाएँ नहीं दौड़ें गीं) जब आप मर्वा पर पहुँचें तो उस पर चढ़ जाएं, क़िब्ला की ओर मुँह करें, और (दोनों हाथों को उठा कर) वही दुआएं पढें जो आप ने सफा पर पढ़ी थीं। और इसी प्रकार आप बाक़ी चक्करों में भी करें, सफा से मरवा पर जाना एक चक्कर, और फिर मरवा से सफा पर वापस आना दूसरा चक्कर शुमार होता है यहाँ तक कि सात चक्कर पूरे हो जाएँ; चुनाँचे सातवाँ चक्कर मर्वा पर पूरा होगा। सई की कोई विशिष्ट दुआ नहीं है, अतः आप स्वेच्छा अनुसार अधिक से अधिक दुआ, या ज़िक्र या क़ुर्आन की तिलावत करें।

➤ **आठवाँ** : जब आप सई को मुकम्मल कर लें तो अपने सिर के बाल मुँड़ाएँ या छोटे करवाएँ। उम्रा करने वाले के लिए मुँड़ाना सर्वश्रेष्ठ है। किन्तु यदि हज्ज क़रीब है तो बाल छोटा करवाना सर्वश्रेष्ठ है ताकि हज्ज में मुँड़ा सके। सिर के अगले और पिछले

भाग से कुछ बालों को काट लेना जैसाकि कुछ लोग करते हैं, पर्याप्त नहीं है। बल्कि सिर के समस्त या अधिकतर बालों को काटना आवश्यक है।

- **अलबत्ता औरत** अपने सिर के बालों को एकत्र कर के अंगुली के पोर के बराबर बाल काट ले गी, उसके सिर के बालों की लम्बाई विभिन्न आकार की हो तो वह हर श्रेणी से बाल काटे गी।

जब आप ने उक्त चीज़ों को कर लिया तो आप का उम्रा संपन्न हो गया, और सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है।

चेतावनियाँ

१. **कुछ लोग यह एतिक़ाद रखते हैं कि महिला के** एहराम के कपड़े का रंग निर्धारित रूप से हरा, या काला या सफेद होना चाहिए; यह बात सहीह नहीं है; क्योंकि कपड़े के रंग की तहदीद के बारे में कोई भी चीज़ साबित नहीं है।

२. **ज़ुबान से नीयत करना, जैसे यह कहना कि : (اللهم إني أريد أو نويت نسك كذا فيسره لي)** अवैद्ध (शरीअत से प्रमाणित नहीं) है। बल्कि मश्रूअ् यह है कि वह अपने नुसुक का तल्बियह पुकारते हुए कहे : लब्बैका उम्रह (**لبيك عمرة**) और हज्जे-इफराद करने वाला कहे : लब्बैका हज्जा (**لبيك حجاً**) और हज्जे क़िरान करने वाला कहे : लब्बैका उमरतन् व हज्जा (**لبيك عمرة وحجاً**)

३. **मोहरिम के लिए साबुन, सफाई व सुथराई के** अन्य साधनों और मर्हम का सेवन करना इस शर्त के साथ जाईज़ है कि इन में खुश्बू न हो; क्योंकि ये एहराम की हालत में निषिध चीज़ों में से नहीं हैं।

४. **मोहरिम के लिए मिस्वाक, ब्रश और दाँतों का** मंजन (टूथ पेस्ट) इस्तेमाल करना जाईज़ है, अलबत्ता दाँतों के मंजन में जो सुगन्ध होती है उदाहरण के तौर पर पुदीने की सुगन्ध, तो इस में कोई हानि (हरज की बात) नहीं है; इसलिए कि यह खुश्बू नहीं है ।

५. **कुछ हाजियों का सामूहिक रूप से एक ही स्वर में** तल्बियह कहना बिद्अत है, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से या आप के सहाबा में से किसी एक (सहाबी) से भी साबित नहीं है। उचित और शुद्ध बात यह है कि हर हाजी अलग-अलग स्वर में तल्बियह कहे।

६. **मोहरिम के लिए चाहे वह पुरूष हो या स्त्री, पूरे** हज्ज या उम्रा के दौरान उसी कपड़े में बाक़ी रहना ज़रूरी नहीं है जिस में उस ने एहराम बाँधा

है, बल्कि उस के लिए जब भी चाहे उसे बदलना जाईज़ है, तथा उसके लिए सफाई व सुथराई के लिए गुस्ल करना जाईज़ है।

७. **स्त्री के लिए अपने बालों को कंघी करना और** अपने शरीर को खुजलाना जाईज़ है; शर्त यह है कि जान-बूझ कर (इच्छापूर्वक) बाल को न उखाड़े।

८. **हाजी के लिए अनिवार्य है कि वह अपने शरमगाह** को छुपाने का इच्छुक बने; क्योंकि कुछ लोगों की शरमगाह बैठने या सोने के दौरान दूसरे लोगों के सामने खुल जाती है और उसे इसका एहसास नहीं होता।

९. **अधिकतर उलमा के निकट तवाफ के शुद्ध होने** के लिए तहारत (बा-वुज़ू होना) शर्त है; अतः जब तवाफ के दौरान आप का वुज़ू टूट जाए तो आप बाहर निकल कर वुज़ू करें, फिर नये सिरे से तवाफ करें, जबकि सई का मामला इसके विपरीत है क्योंकि उसके लिए तहारत शर्त नहीं है, अतः जिस आदमी ने बिना वुज़ू के सई की तो उसकी

सई शुद्ध है और उस पर कोई भी चीज़ अनिवार्य नहीं है।

१०. **जब तवाफ के दौरान नमाज़ खड़ी हो जाए, या** जनाज़ह की नमाज़ होने लगे; तो आप लोगों के साथ नमाज़ पढ़ें, फिर जहाँ आप रूके थे वहीं से तवाफ पूरा करें। तथा नमाज़ के दौरान अपने दोनों कंधों को ढाँकना न भूलें; क्योंकि नमाज़ में उनका ढाँकना अनिवार्य है।

११. **यदि आप को तवाफ के दौरान थोड़ी देर भैठने,** या पानी पीने, या ग्राउन्ड फलोर से ऊपरी मंज़िल पर स्थानांतरित होने या इसके विपरीत की आवश्यकता पड़ जाए तो इसमें कोई हानि (हरज की बात) नहीं है।

१२. **जब आप को चक्करों की संख्या में सन्देह हो** जाए तो यक़ीन को आधार बनाएं और वह कमतर (न्यूनतम) संख्या है; जब आप को शंका हो जाए कि आप ने तीन चक्कर तवाफ किया है या चार चक्कर, तो आप तीन चक्कर शुमार करें। परन्तु यदि सोच-विचार के बाद आप को

किसी निश्चित संख्या पर गालिब गुमान हो जाए तो उस पर अमल करें।

१३. **कुछ हाजी एहराम का कपड़ा पहनते ही इज़्तिबा** कर लेते हैं, और पूरे हज्ज के अन्दर इसी हालत में बाक़ी रहते हैं, यह गलत है, जबकि मश्रूअ् (वैध) यह है कि वह अपने दोनों कन्धों को ढाँक ले और इज़्तिबाअ् केवल पहले तवाफ में करे, जैसाकि इस का उल्लेख किया जा चुका है।

१४. **तवाफ की दोनों रक्अतों को मक़ामे इब्राहीम के** पीछे पढ़ना सुन्नत है, परन्तु कुछ हाजियों का भीड़-भाड़ के समय मक़ामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ना गलत है, क्योंकि वो इस से तवाफ करने वालों को कष्ट पहुँचाते हैं, **उचित यह है कि** वह पीछे चला जाए यहाँ तक कि तावफ करने वालों से दूर हो जाए, और मक़ामे इब्राहीम को अपने और काबा के बीच कर ले, और अगर वह हरम में किसी भी जगह उन दोनों रक्अतों को पढ़ ले तो काफी है।

१५. **कुछ लोगों के बीच तवाफ और सई में दो बिद्अतें फैली हुई हैं :**

पहली :हर चक्कर के लिए एक निर्धारित दुआ की पाबन्दी करना, जैसाकि यह कुछ किताबचों में मौजूद है।

दूसरी : हाजियों के एक ग्रूप् (गुट) का अपने एक क़ाईद (अगुवा) के पीछे एक ही स्वर में ज़ोर-ज़ोर से दुआ करना।

हाजी को चाहिए कि इन दोनों बिद्अतों से बचे; इसलिए कि इनके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, या आप के किसी सहाबी से कुछ भी साबित नहीं है।

१६. **कुछ लोगों का मक्कह पहुँच कर बार-बार उम्रा** करना, गलत है; क्योंकि यह न तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सलम का तरीक़ा है और न ही आप के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हम का, यदि इसके अन्दर कोई फज़ीलत (भलाई) होती तो वो लोग इसे हमसे पहले कर चुके होते।

१७. **कुछ महिलाएं एहराम की हालत में मर्दों के** सामने चेहरा खोलना जाईज़ समझती हैं, हालांकि यह गलत है, उसको ढाँकना अनिवार्य है; इसकी कुछ दलीलें निम्नलिखित हैं :

(क) आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कथन है : **"सवारों के क़ाफिले हमारे पास से गुज़रते थे, और हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सलम के साथ एहराम की हालत में होते थे, जब वो हमारे सामने आ जाते तो हम अपने चेहरे पर अपनी चादरें डाल लेते, और जब वो हम से आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरों को खोल लेते।"** (अहमद, अबूदाऊद, और इसकी सनद हसन है)

(ख) अस्मा बिन्त अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है वह कहती हैं कि : **"हम अपने चेहरे मर्दों से ढाँक लिया करते थे, और इस से पहले हम एहराम में कंघी किया करते थे।"** (यह एक सहीह असर है जिसे हाकिम वग़ैरह ने उल्लेख किया है।)

१८. कुछ औरतें हज्ज में अबाया (हिजाब) नहीं पहनती हैं और अपने कपड़ों ही में लोगों के बीच गुज़रती हैं, और कभी-कभार पैन्ट पहन कर निकलती हैं, और यह समझती हैं कि हिजाब केवल सिर पर दुपट्टा रख लेने का नाम है। यह एक फासिद समझ है। तथा मामला इस से और

संगीन हो जाता है कि कुछ महिलाएं ईद के दिन बनाव-सिंगार करती हैं, फिर सुनहरे कपड़े पहन कर और मेकप (श्रृंगार) करके मर्दों के पास से गुज़रती हैं, और यह समझती हैं कि यह सब ईद की खुशी में दाखिल है, हालांकि उसे नहीं मालूम कि यह हज्ज के अन्दर महा पाप में से है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है : **“मैं ने अपने बाद मर्दों के लिए महिलाओं से बढ़कर हानिकारक (खतरनाक) कोई फित्ना नहीं छोड़ा।”** (बुखारी व मुस्लिम)

१६. **तथा कुछ महिलाएँ सार्वजनिक स्थानों पर सोने** में लापरवाही करती हैं, जिसके कारणवश मर्द उन्हें देखते हैं। मुसलमान महिला पर अनिवार्य है कि वह अल्लाह से डरे और बिना ज़ीनत (बनाव-सिंगार) वाला विस्तृत हिजाब पहन कर पराये मर्दों से इस प्रकार पर्दा करे कि उस की शरीर का कोई अंग दिखाई न दे; न तो उसका चेहरा, न उसके दोनों हाथ और न ही उसके दोनों पाँव; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्माना है : **“स्त्री सम्पूर्णतः सत्र** (छुपाने योग्य अंग) **है, जब वह बाहर निकलती**

है तो शैतान उसे नज़र उठा कर देखता।" (तिर्मिज़ी ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है) (इस्तिश्राफ : असल में कहते हैं माथे (भौं) पर हथेली रख कर और सिर उठा कर देखना। इसका अभिप्राय यह है कि जब औरत अपने घर से बाहर निकलती है तो शैतान के अन्दर उसे बहकाने और गुमराह करने के लिए लालसा पैदा होती है।)

२०. **बड़े खेद के साथ कभी-कभार हम यह देखते हैं** कि हरम के सहन (छेत्र) में मर्द, औरत के बगल में या उसके पीछे नमाज़ पढ़ता है, यह एक भयंकर गलती है, अनिवार्य यह है कि मर्द, मर्दों के साथ और महिला, महिलाओं के साथ नमाज़ पढ़े, जब नमाज़ खड़ी हो जाए और वह मर्दों के बीच हो और औरतों के स्थान की ओर जाने का रास्ता न पाए; तो ऐसी हालत में वह उनके साथ नमाज़ न पढ़े, बल्कि नमाज़ खत्म होने तक प्रतीक्षा करे, फिर औरतों के स्थान की ओर जाए।

२१. **हरम में हम जिन मुख़ालफात (अवैद्ध कामों) का** मुशाहदा करते हैं उन्हीं में से एक : दाहिने हाथ

से जूता-चप्पल पकड़ना और फिर उसी से मुसाफहा करना भी है, जबकि उचित यह है कि जूता-चप्पल बायें हाथ से पकड़ा जाए, चुनांचे आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह कहती हैं : **''अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दाहिना हाथ तहारत और खाने-पीने के लिए था, और आप का बायाँ हाथ क़ज़ाए-हाजत के बाद इस्तिंजा करने और गंदी चीज़ों की सफाई के लिए था।''** (इसे अबू दाऊद ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है)

❀❀❀

यौमुत्तर्वियह (8 जुलहिज्जा)

✸ जुल-हिज्जा के आठवें दिन को यौमुत्तर्वियह कहते हैं, यह नाम इस लिए पड़ा क्योंकि इस दिन लोग इसके बाद आने वाले दिनों के लिए पानी संग्रह करते थे।

✿ यौमुत्तर्वियह (8 जुलहिज्जा के दिन) के काम :

१. हज्जे-तमत्तुअ् करने वाले के लिए मस्नून है कि इस दिन अपने उस स्थान से जहाँ वह ठहरा हुआ है हज्ज का एहराम बांधे, चुनाँचे वह गुस्ल करे और अपने शरीर में खुश्बू लगाए, और सिले हुए कपड़े उतार कर सफेद रंग की एक चादर और तहबंद पहन ले।

जहाँ तक महिला का संबंध है तो वह नहा-धोकर जो भी कपड़े चाहे पहन ले, किन्तु उस से श्रृंगार का प्रदर्शन न होता हो, तथा चेहरे पर नक़ाब न लगाए और न ही हाथ में दस्ताने पहने।

२. फिर आप “लब्बैका हज्जा” कहें, और अगर किसी रूकावट के पेश आ जाने का भय हो तो शर्त लगाना मस्नून है, चुनाँचे आप कहें : “إنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ (इन हबा–सनी हाबिसुन–फ–महिल्ली हैसो हबस्–तनी) अर्थात् जहाँ मुझे कोई रूकावट पेश आ गई, मैं वहीं हलाल हो जाऊँगा। फिर आप तल्बियह कहें :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ

(लब्बैका, अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नेमता लका वल मुल्क, ला शरीका लक)

और आप निरंतरता के साथ ऊँचे स्वर में तल्बियह कहते रहें यहाँ तक कि १० जुल–हिज्जा को (क़ुरबानी के दिन) जमरतुल अक़्बा को कंकरी मार दें।

३. आप के लिए इस रात को मिना में बिताना सुन्नत है।

४. आप के लिए सुन्नत है कि मिना में ज़ुह्र, अस्र, मग्रिब, इशा और अरफा के दिन की फज्र की नमाज़ बिना एकत्र किए हुए कस्र के साथ पढ़ें।

हाजी को चाहिए कि अपना खाली समय ऐसी चीज़ों में बिताए जो लाभप्रद हों, उदाहरण के तौर पर दुरूस में हाज़िर होना, क़ुरआन की तिलावत करना, हज्ज के मनासिक पढ़ना ...इत्यादि।

अरफा का दिन (9 ज़ुल–हिज्जा)

१. जब अरफा के दिन (६ ज़ुल-हिज्जा को) सूरज निकल आए, तो हाजी तल्बियह या तक्बीर कहते हुए, मिना से अरफा के लिए रवाना हो, जैसाकि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अमल से साबित है जबकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे : तल्बिया पुकारने वाला तल्बिया कहता था और उस पर कोई नकीर (आपत्ति) नहीं की जाती थी, तथा तक्बीर कहने वाला तक्बीर कहता था

और उस पर भी कोई आपत्ति व्यक्त नही जाती थी।

- जब सूरज ढल जाए तो एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ जुहर और अस्र की नमाज़ क़स्र करके एक साथ पढ़ें, और नमाज़ से पहले इमाम ऐसा खुत्बा दे जो उस स्थान के मुनासिब हों।

२. फिर हाजी नमाज़ के बाद ज़िक्र, दुआ, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से गिड़गिड़ाने में व्यस्त हो जाए, अपने दोनों हाथों को उठा कर क़िब्ला की ओर मुँह कर के सूरज डूबने तक दुआ करता रहे; जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया।

- हाजी के लिए मुनासिब यह है कि वह इस महान स्थान में कोताही से काम न ले; उसे चाहिए कि अधिक से अधिक दुआ करे, और उस में इल्हाह (खुशामद) से काम ले, और अल्लाह तआला से सच्ची तौबा करे।

मेरे हाजी भाई! आप की सेवा में अरफा के दिन की फज़ीलत पर दलालत करने वाली कुछ हदीसें प्रस्तुत की जा रही हैं :

✿ (क) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : **"हज्ज अरफा में ठहरने का नाम है।"** (सहीह हदीस है जिसे अहमद और असहाबुस्सुनन ने रिवायत किया है)

✿ (ख) तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : **"अरफा के दिन से बढ़ कर कोई और दिन नहीं है जिस में अल्लाह तआला अपने बन्दों को सब से अधिक जहन्नम से आज़ाद करता है, (उस दिन) वह क़रीब होता है फिर फरिश्तों के सामने उन पर गर्व करते हुए कहता है : ये लोग क्या चाहते हैं?"** (मुस्लिम)

✿ (ग) तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : **"मैं ने और अन्य पैग़म्बरों ने अरफा की शाम जो सर्वश्रेष्ठ बात कही वह यह है :**

"لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير."

"अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा माबूद (पूज्य) नहीं, वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं, उसी के लिए बादशाही और उसी के लिए सभी प्रशंसा है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर है।" (सहीह हदीस है जिसे मालिक ने रिवायत किया है)

चेतावनियाँ :

१. हाजी पर अनिवार्य है कि वह इस बात को निश्चित कर ले कि वह अरफा की सीमा के भीतर है, अरफा के चारों ओर लगे हुए बड़े-बड़े बोर्डों (खम्भों) से सीमा का पता लगाया जा सकता है।

२. मस्जिदे नमिरह का पूरा भाग अरफा में नहीं है; बल्कि उसका कुछ भाग (अर्थात् पिछला भाग) अरफा में है, और उसका कुछ भाग (अर्थात् उसका अगला भाग) अरफा के बाहर है।

३. कुछ लोग यह मानते हैं कि अरफा की पहाड़ी की कोई फज़ीलत है; यह बात सहीह नहीं है।

४. कुछ हाजी जल्दबाज़ी करते हुए सूरज डूबने से पहले ही अरफा से मुज़दलिफा की ओर रवाना हो जाते

हैं, यह गलत है। अनिवार्य यह है कि वह सूरज डूबने तक अरफा में ठहरा रहे।

मुज़दलिफह में रात बिताना

- जब अरफा के दिन सूरज डूब जाए तो हाजी इतमिनान और सुकून के साथ अरफा से मुज़दलिफा की ओर रवाना हो और लोगों के लिए भीड़ और रूकावट न पैदा करे। मुज़दलिफह पहुँच कर एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ मग़्रिब और इशा की नमाज़ कस्र कर के एक साथ पढ़े।
- इशा की नमाज़ को उसके समय से विलम्ब करना हराम है, और उसका समय आधी रात है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है : **"इशा का समय आधी रात तक है।"** (मुस्लिम) अतः जब इशा की नमाज़ का समय निकल जाने का डर हो तो किसी भी स्थान पर मग़्रिब और इशा की नमाज़ पढ़ ले, चाहे अरफा ही में क्यों न हों।

- फिर मुज़दलिफह में फज्र तक रात बिताए, फज्र की नमाज़ पहले समय पर पढ़े, फिर अगर हो सके तो मश्अरे हराम -मुज़दलिफह में एक पहाड़ी है- के पास जाए, अन्यथा पूरा मुज़दलिफा ठहरने का स्थान है, क़िब्ला की ओर मुँह करके अल्लाह की हम्द व सना (प्रशंसा) करे, उसकी बड़ाई और वह्दानियत बयान करे और दुआ करे। जब सुब्ह अच्छी तरह रौशन हो जाए तो सूरज निकलने से पहले हाजी तल्बियह कहते हुए मिना के लिए रवाना हो जाए, और निरंतर तल्बियह कहता रहे यहाँ तक कि जमरतुल-अक़्बह को कंकरी मार दे।

- कमज़ोरों और महिलाओं के लिए रात के अन्तिम भाग में मिना के लिए रवाना होना जाईज़ है; जैसाकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि उन्हों ने कहा : **“मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सामान के साथ रात के अन्तिम भाग में मुज़दलिफह से भेजा”** (मुस्लिम) तथा अस्मा बिन्त अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा चाँद डूबने के बाद मुज़दलिफह से कूच करती थीं। और चाँद लगभग दो-तिहाई रात बीतने के बाद डूबता है।

✿चेतावनियाँ :

✸**पहली** : कुछ लोग यह एतिक़द रखते हैं कि मुज़दलिफह पहुँचते ही जमरात को मारने के लिए कंकरियाँ चुनी जाएं गीं; यह एतिक़ाद सहीह नहीं है, इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नहीं किया है। कंकरियाँ किसी भी स्थान से चुनी जा सकती हैं।

✸**दूसरी** : कुछ लोग रात के १२ बजे को आधी रात समझते हैं, हालांकि यह गलत है, बल्कि सहीह बात यह है कि रात के सम्पूर्ण घन्टों के अर्ध को आधी रात कहते हैं। आप इस गणित विधि के द्वारा आधी रात का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं : (रात के सम्पूर्ण घन्टे ÷ २ + सूरज डूबने का समय = आधी रात) उदाहरण के तौर पर अगर सूरज ६ बजे डूबता है, और फज्र ५ बजे निकलती है, तो आधी रात साढ़े ग्यारह बजे रात को होगी। (रात के सम्पूर्ण घन्टे11÷2+सूरज डूबने का समय 6 = 11½बजे)

✸**तीसरी** : इस रात में कष्टदायक मुखालफात (अवैद्ध कामों) में से एक यह है कि : बहुत से हाजी फज्र की नमाज़ उसका समय होने से पहले ही

पढ़ लेते हैं, और यदि नमाज़ को उसका समय होने से पूर्व पढ़ लिया जाए तो नमाज शुद्ध नहीं होती है।

✷ **चौथी** : हाजी पर अनिवार्य है कि वह इस बात को निश्चित कर ले कि वह मुज़दलिफह की सीमा के भीतर है, मुज़दलिफह के चारों ओर लगे हुए बड़े-बड़े बोर्डों (खम्भों) से सीमा का पता लगाया जा सकता है।

यौमुन्नह्र (10 जुल-हिज्जा)

✿ यौमुन्नह्र के काम :

१. जमरतुल अक़्बा को कंकरी मारना।

२. (क़िरान और तमत्तुअ करने वाले का) क़ुरबानी करना।

३. सिर के बाल मुँड़ाना या काटना। और मुँड़ाना श्रेष्ठ है।

४. तवाफे इफाज़ह और हज्ज की सई करना।

✿ महत्वपूर्ण चेतावनियाँ :

१. उपर्युक्त तरतीब ही सुन्नत है, यदि तरतीब का पालन न हो सके, तो कोई हरज नहीं है, जैसे कोई आदमी सिर के बाल मुँड़ाने से पहले तवाफ कर ले, या कंकरी मारने से पहले बाल मुँड़ा ले, या तवाफ से पहले सई कर ले, या इसी प्रकार कोई और काम आगे या पीछे कर दे।

२. जमरतुल अक़्बह को लगातार सात कंकरियाँ मारें, हर कंकरी मारने के समय अपना हाथ उठाएं और तकबीर कहें, सुन्नत यह है कि (कंकरी मारते समय) जमरह की ओर मुँह करें और मक्कह को अपने बाएं और मिना को अपने दाहिने कर लें।

३. ताक़तवर लोगों के लिए जमरतुल अक़्बह को कंकरी मारने का समय सूरज डूबने के बाद आरम्भ होता है; इस का प्रमाण इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि आप ने फरमाया : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुज़दलिफा की रात हम बनी अब्दुल मुत्तलिब के बच्चों को गधों पर आगे भेज दिया और हमारी रानों पर थपथपाते हुए कहने लगे : **“ऐ मेरे बेटो! जमरह को कंकरी**

न मारना यहाँ तक कि सूरज निकल आए।'' (इसे अबू दाऊद ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है।)

✸ जहाँ तक औरतों और कमज़ोरों का संबंध है तो उनके लिए रात के अन्तिम भाग में मिना पहुँचते ही कंकरी मारना जाईज़ है, इसका प्रमाण अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि : ''वह मुज़दलिफह की रात मुज़दलिफह में उतरीं और खड़ी हो कर नमाज़ पढ़ने लगीं, चुनाँचे उन्हों ने एक घन्टा नमाज़ पढ़ी फिर कहा : ऐ मेरे बेटे ! -इससे मुराद उनके गुलाम अब्दुल्लाह हैं- क्या चाँद गायब हो गया? मैं ने कहा : नहीं। फिर उन्हों ने एक घन्टा नमाज़ पढ़ी फिर कहा : क्या चाँद ग़ायब हो गया? मैं ने कहा : हाँ, उन्हों ने कहा : तो कूच करो, चुनाँचे हम ने कूच किया और चल पड़े यहाँ तक कि उन्हों ने जमरह को कंकरी मारी, फिर वापस आईं और अपने डेरे पर फज्र की नमाज़ पढ़ी, तो मैं ने कहा : हे, मैं समझता हूँ कि हम ने रात के समय ही कंकरी मार दी है। उन्हों ने कहाः ऐ मेरे बेटे! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों के लिए अनुमति दी है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

४. जमरतुल अक़्बह को कंकरी मारने का समय सूरज ढलने तक है। अगर सूरज ढलने से पहले कंकरी मारने में कोई परेशानी है तो सूरज ढलने के बाद भी कंकरी मार सकते हैं चाहे रात में ही क्यों न हो।

५. सुन्नत यह है कि कुरबानी करने, सिर के बाल मुँड़ाने, तवाफ और सई करने में जल्दी करें, अगर उसे यौमुन्नह्र से विलम्ब कर दिया तो कोई हरज नहीं है।

६. हज्जे तमत्तुअ् और क़िरान करने वाले पर कुरबानी करना अनिवार्य है, हज्जे इफ्राद करने वाले पर कुरबानी नहीं है। जो आदमी कुरबानी न पाए तो उसके ऊपर तीन दिन हज्ज के दिनों में और सात दिन अपने घर लौटन के बाद रोज़ा रखना अनिवार्य है।

- मिना ही में कुरबानी करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मक्कह और अवशेष हुदूदे हरम में कुरबानी करना जाईज़ है। ऊँट और गाय में सात आदमी साझीदार हो सकते हैं, सुन्नत यह है कि

आदमी स्वयं अपने हाथ से ज़ब्ह करे, और दूसरे को वकील बनाना भी जाईज़ है।

- सुन्नत यह है कि गाय या बकरी को (ज़ब्ह के समय) उसके बाएं पहलू पर लिटा दे, और उसका मुँह किब्ले की ओर कर ले और अपने पैर को गर्दन पर रख दे। जहाँ तक ऊँट का संबंध है तो उसे खड़ा कर के और उसके बायें हाथ (अगले बायें पैर) को बाँध कर और उसके चेहरे को क़िब्ला की ओर करके नह्र (कुरबानी) करें।

- ज़ब्ह करते समय अल्लाह का नाम लेना शर्त है, और सुन्नत यह है कि इतनी दुआ की और वृध्दि कर लें :

بسم اللّه، واللّه أكبر، اللهم إن هذا منك ولك،اللهم تقبل مني.

कुरबानी करने का समय अय्यामे तश्रीक़ के तीसरे दिन अर्थात् तेरहवीं तारीख तक जारी रहता है।

७. खाना कअ्बा का तवाफ सात चक्कर है जैसाकि उम्रा के तवाफ में गुज़र चुका, किन्तु इसमें रमल (कन्धा उचकार छोटे-छोटे क़दमों के साथ तेज़ी से चलना) और इज़्तिबाअ् (दाहिना कन्धा खुला रखना) नहीं है, फिर सुन्नत यह है कि यदि आसानी हो तो मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकूअत नमाज़ पढ़े, वर्ना मस्जिद में किसी भी स्थान पर पढ़ सकते है।

८. सफा और मर्वा के बीच सई (दौड़ना) सात चक्कर है, और उसका तरीक़ा वही है जो उम्रा की सई में गुज़र चुका। क़िरान और इफराद करने वालों के लिए पहली सई काफी है, अगर वे दोनों तवाफे क़ुदूम के साथ सई कर चुके हों।

९. तक़्सीर में पूरे सिर के बालों को कटवाना ज़रूरी है, तथा औरत अपने सिर के बालों को एकत्र करके अंगुली के पोर के बराबर काट ले गी, यदि उसके बाल विभिन्न लम्बाई के हैं तो वह हर श्रेणी से बाल काटे गी।

१०.जब आदमी जमरतुल अक़्बह को कंकरी मार दे और सिर के बाल को मुँड़ा या कटवा ले तो उसे पहला तहल्लुल हासिल हो गया (अर्थात् औरत के

सिवा एहराम की हालत में जो चीज़ें भी निषिध थीं वह जाईज़ हो गईं)। और उसके लिए तवाफ से पहले सफाई-सुथराई करना और खुश्बू लगाना सुन्नत है।

और जब कंकरी मार दिया, सिर का बाल मुँड़ा लिया या कटवा लिया, तवाफ और सई कर ली, तो उसे दूसरा तहल्लुल हासिल हो गया (अर्थात् उसके लिए सभी चीज़ें जाईज़ हो गयीं यहाँ तक कि औरतें भी।)

❀❀❀

अय्यामुत्तश्रीक़

✸ **प्रथम** : अय्यामुत्तश्रीक़ की रातों को मिना में बिताना वाजिब है, और वह यह हैं : ज़ुल-हिज्जा की ग्यारहवीं रात, बारहवीं रात (जल्दी करने वाले के लिए) और तेरहवीं रात (विलम्ब करने वाले के लिए)।

✸ **दूसरा** : अय्यामुत्तश्रीक़ में जमरात को कंकरी मारना वाजिब है, कंकरी मारने का तरीक़ा निम्नलिखित है :

अय्यामुत्तश्रीक़ के प्रत्येक दिन सूरज ढलने के बाद तीनों जमरात को कंकरी मारें, हर जमरह को लगातार सात कंकरियाँ मारें, और हर कंकरी के साथ तक्बीर (अल्लाहु अक्बर) कहें; इस प्रकार हर दिन मारी जाने वाली कंकरियों की सम्पूर्ण संख्या २१ होगी। (कंकरी का आकार चने से थोड़ा बड़ा होना चाहिए)।

पहले जमरह से कंकरी मारने का आरम्भ करें गे जो मस्जिदे खैफ़ से क़रीब है, फिर अपने दाएं आगे बढ़ कर क़िबला की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं और लम्बी देर तक खड़े रहें और दोनों हाथों को उठा कर

दुआ करें। फिर मध्यस्थित जमरह को कंकरी मारें, फिर बाएँ ओर हो जाएं और क़िबला की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं और लम्बी देर तक खड़े रहें और दोनों हाथों को उठा कर दुआ करें। फिर जमरतुल अक़्बह को कंकरी मारें, चुनाँचे उसकी ओर मुँह करके मक्कह को अपने बाएं और मिना को अपने दाहिने कर लें, और (कांकरी मारने के बाद) इसके पास न ठहरें। फिर इसी प्रकार बारहवीं तारीख और तेरहवीं तारीख को कंकरी मारें।

✿ चेतावनियाँ :

१. कंकरियों को धोना गलत है; क्योंकि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या आप के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित नहीं है।

२. कंकारी के हौज़ में गिरने का एतिबार होता है, हौज़ के बीच में खड़े हुए खम्बे को लगने का एतिबार नहीं है।

३. कंकरी मारने का समय सूरज ढलने से आरम्भ होता है और सूरज डूबने तक रहता है, आवश्यकता पड़ने पर रात को कंकरी मारने में कोई हरज की बात नहीं है; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का

फरमान है : **"चरवाहा रात को कंकरी मारे और दिन में चराए।"** (यह हदीस हसन है, देखिए : सिलसिला सहीहा हदीस न० २४७७)

४. कंकरी मारने में किसी को वकील (प्रतिनिधित्व) बनाना जाईज़ नहीं है मगर असमर्थता के समय, या बुढ़ापा, या बीमारी, या कमसिनी आदि के कारण नुक़सान के डर से। ऐसी हालत में वह (वकील) सर्वप्रथम अपनी ओर से पहले जमरह को सात कंकरियाँ मारे, फिर अपने मुवक्किल की ओर से कंकरी मारे, फिर मध्यस्थित जमरह और जमरतुल अक़्बह को भी इसी प्रकार कंकरी मारे।

✱ अल्बत्ता आजकल कुछ लोगों का वकील बनाने में विस्तार से काम लेना गलत है, और जिस व्यक्ति को चाहे वह मर्द हों या औरतें, भीड़-भाड़ का डर हो तो उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह ऐसे समय कंकरी मारने के लिए जाए जिस में भीड़-भाड़ न हो, जैसे रात के समय।

५. तीनों जमरात को कंकरी मारने में तरतीब का पालन करना ज़रूरी है; पहले छोटा जमरह, फिर मध्यस्थित जमरह और फिर जमरतुल अक़्बह को कंकरी मारें।

६. कुछ लोगों का जमरात के पास गाली-गलोज देना, जूते-चप्पल, छतरी, बड़े पत्थर आदि से मारना और यह एतिक़ाद रखना कि शैतान खम्बे में बंधा हुआ है, गलत है।

७. मिना में रात का अधिकतर भाग बिताने से मिना में रात गुज़ारने का वाजिब पूरा हो जाता है, उदाहरण के तौर पर यदि सम्पूर्ण रात ११ घन्टे की होती है, तो एक ही साथ या अलग-अलग साढ़े पाँच घन्टे से अधिक मिना में रहना अनिवार्य है।

८. (जल्दी करने वाले के लिए) ज़ुल-हिज्जा की १२वीं तारीख को कंकरी मारने के बाद मिना से रवाना होना जाईज़ है, तथा वह सूरज डूबने से पहले निकले गा; यदि सूरज डूब गया और वह अभी तक मिना ही में है तो उसके लिए रात गुज़ारना और अगले दिन कंकरी मारना अनिवार्य है; परन्तु यदि वह रवाना होने के लिए तैयार था और भीड़-भाड़ आदि के कारण मिना ही में सूरज डूब गया; तो उसके लिए कूच करना जाईज़ है और उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

12 वीं तारीख

१. जब आप ज़ुल-हिज्जा की १२वीं तारीख को जमरात को कंकरी मार चुकें, तो यदि आप जल्दी करना चाहें तो सूरज डूबने से पहले मिना से निकल जाएं, और यदि आप विलम्ब करना चाहें और यही सर्वश्रेष्ठ है तो ज़ुल-हिज्जा की तेरहवीं रात मिना में बिताएं, और सूरज ढलने के बाद और डूबने से पहले तीनों जमरात को कंकरी मारें; क्योंकि अय्यामें-तश्रीक़ सूरज डूबने से समाप्त हो जाता है।

२. अगर ज़ुल-हिज्जा की १२वीं तारीख को (अय्यामे-तश्रीक़ के दूसरे दिन) सूरज डूब जाए और आप मिना में हों तो उस रात को मिना में बिताना और अगले दिन कंकरी मारना अनिवार्य है, परन्तु अगर आप निकलने के लिए तैयार हों लेकिन उदाहरण के तौर पर भीड़ के कारण सूरज डूब जाए और आप अभी मिना ही में हैं; तो आप के लिए निकलना जाईज़ है और आप के ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

३. मक्कह से यात्रा करने के समय आप के ऊपर अनिवार्य है कि सात चक्कर तवाफ़े विदाअ् करें, तथा इसके बाद सुन्नत यह है कि आप मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रक्अत नमाज़ पढ़ें।

४. हैज़ और निफास (माहवारी और प्रसव) वाली औरतों पर तवाफ़े विदाअ् नहीं है, चुनांचे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्हों ने कहा : **"लोगों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि उनका अन्तिम काम खाना-कअ्बा का तवाफ हो, किन्तु हैज़ वाली औरत से माफ कर दिया गया है।"** (बुखारी व मुस्लिम)

इसी पर हज्ज के काम समाप्त हो जाते हैं।

हज्ज और उम्रा के अर्कान व वाजिबात का सारांश

उम्रा के अर्कान :

१. एहराम बांधना (अर्थात् उम्रा के नुसुक में दाखिल होने की नीयत करना)।

२. तवाफ।

३. सई।

उम्रा के वाजिबात :

१. मीक़ात से एहराम के कपड़े पहनना।

२. सिर के बाल मुँडाना या कटवाना।

हज्ज के अर्कान

१. एहराम बाँधना (हज्ज की इबादत में दाखिल होने की नीयत करना)

२. अरफा में ठहरना।

३. तवाफे- इफाज़ा करना।

४. सई करना।

✷हज्ज के वाजिबात :

१. मीक़ात से एहराम के कपड़े पहनना।

२. जिस आदमी ने दिन में वकूफ किया है उसके लिए अरफा में सूरज डूबने तक ठहरना।

३. मुज़दलिफह में रात गुज़ारना।

४. तश्रीक़ की रातों को मिना में गुज़ारना।

५. जमरात को कंकरी मारना (१० जुलहिज्जा को जमरतुल-अक़्बा, और तश्रीक़ के दिनों में क्रमशः तीनों जमरात को कंकरी मारना)

६. सिर के बाल मुँड़ाना या कटवाना।

७. (तमत्तुअ् और क़िरान करने वाले के लिए) कुरबानी करना।

८. तवाफे विदाअ् करना।

✷**नोट :–** यह उल्लेख किया गया है कि हज्ज और उम्रा के वजिबात में से : मीक़ात से एहराम के

कपड़े पहनना भी है, तो यह हुक्म मीक़ात के पीछे से आने वालों के लिए है, परन्तु जो आदमी मीक़ात के अन्दर है तो वह अपने स्थान से ही एहराम पहन लेगा, यहाँ तक कि मक्कह वाले मक्का ही से एहराम बाँधें गे; केवल उम्रा का हुक्म इस से अलग है। अगर मक्का में रहने वाला आदमी उम्रा का इरादा करता है तो वह वहाँ से निकल कर हरम की सीमा से बाहर (हिल्ल में) जाए गा और वहीं से एहराम बाँधे गा।

अनुवादक
(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*
atazia75@gmail.com

विषय सूचि